

Request-123

From: Sri
Deputy Registrar,
High Court of Judicature at
Allahabad.

Registered

To, The District Judge,

Pratapgarh

No. 13505 / IV-2505 / Admn. (A) Dated: 13-8-02

Subject: Sanction of Motor Car Advance to Sri Lallu Singh
Civil Judge (Sr. Div.) Pratapgarh

URGENT

S.O. Admin (1)

Pl. restore in misc. file of the office and advise

DR (m)

Sir,

I am directed to send herewith an attested copy of Court's order dated 04.09.2002 sanctioning Rs. 80,000/- as Motor Car Advance to Sri Lallu Singh Civil Judge (Sr. Div.), Pratapgarh

for purchase of car. The Officer may kindly be asked to furnish the voucher Number, date of drawal of the amount and name of the Treasury to the A.G.U.P., Allahabad, under intimation to the Court. He should also be ^{asked to} send requisite papers as asked for in the Court's Order referred to above, to the Court at an early date.

Yours faithfully,

K. Dasgupta
12.9.02
Deputy Registrar

Encl: As above

No. 13506 / IV-2505 / Admn. (A) Dated: 13-8-02

Copy, alongwith an attested copy of the Court's order dated 04.09.2002, forwarded for information and necessary action to :-

1. The Deputy Secretary, Vitta (Aya-Vyayak) Anubhag-3, Uttar Pradesh Shashan, Lucknow.
2. The Accounts Officer, G.E. (Loans) Section, A.G. (ASE)-III, U.P., Allahabad.
3. The Treasury Officer, Pratapgarh
4. Sri Lallu Singh Civil Judge (Sr. Div.), Pratapgarh

Enclosure: as above

DR (m)

Misc. file is not available at present in record room.

Order placed below

May issue?

Ak. Saranlar

11-9-02

By order,

K. Dasgupta
12.9.02
Deputy Registrar

S.O. Admin (1)

Pl. restore in misc. file of the office and when it received in jurisdiction file

11/9/02

Yes
K. Dasgupta
12.9.02
DR (m)

भादेश

वित्तोप दस्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के पैराग्राफ 245 मण्डित राजाजा
मंथान बी-3-2279 (2) / दस्त-2002-20 (12) / 2002-मोठ काठ
दिनांक 24-06-02 के अन्तर्गत श्री लल्लू सिंह, सीवील जज (वरिष्ठ
-प्रेमी) प्रतापगढ़

को रु 80,000/- -⁰श्री अहसी हजाराबा - का अग्रिम मोटर कार
खरीदने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता है।

1. स्वीकृति की तिथि में एक माह की समय सीमा के अन्दर अग्रिम को धनराशि
रुम समय तक नहीं निकालनी चाहिए जबकि उसको वास्तव में खर्च करने की
भावश्यकता न हो। उसके तुरन्त बाद मोटर कार क्रय कर ली जाय अन्यथा भादेश
रद्द कर दिया जायेगा।

2. अग्रिम का प्रयोग आरंभ करने के लिये बिल प्रस्तुत करने के पूर्व एक अनुबन्ध
पत्र फार्म नं० 25-ए पर भर कर मोठे वम न्यायालय को भेजा जाय। तदुपरान्त
मोटर कार क्रय किया जाय और अनुबन्ध पत्र की तिथि में एक माह के अन्दर फार्म
25 पर बन्धक पत्र भर कर उसके प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करके न्यायालय को
भेजा जाय।

3. यदि मोटर कार का वास्तविक मूल्य अग्रिम को धनराशि में कम हो तो बड़ी
हुई धनराशि शीघ्र कोषागार में वापस कर दी जाय।

4. अग्रिम पर अनन्तिसम रूप में - 16.5 - - - प्रतिशत साधारण ब्याज लिया
जायेगा किन्तु नियमित रूप में अण/ब्याज के प्रतिदान/भुगतान होने पर ब्याज में
3.5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। ब्याज की जो दरें अंतिम रूप में निर्धारित होंगी
वही अग्रिमों को मान्य होंगी।

5. वित्तोप दस्त पुस्तिका खण्ड 5 भाग एक के पैराग्राफ 245 (डो) में दिये गये
नियमों के अनुसार अग्रिम को कटौती श्री जयहं - - - - - के वेतन से
- - 96 - - मासिक किस्तों में रु 80,000/- - की दर में वसूल की जायेगी, जिसमें
अन्तिम किस्त रु 1,50,000/- - की होगी। बूलधन की अदायगी के तुरन्त बाद ब्याज
की किस्तों की अदायगी की जायेगी।

6. अग्रिम का प्रयोग किराया क्रय पद्धति के आधार पर या किस्तों पर मोटर कार
खरीदने में नहीं किया जायेगा।

